1 रु. कोर्ट फी Re.1

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—27 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 27

अपीलाण्ट :—

ओम प्रकाश पुत्र श्री पुखराज जाति माली निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1. पारसमल पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।
2. श्रीमती ढेपी देवी पत्नी पुखराज जाति माली निवासी— भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।
3. पुखराज पुत्र लच्छाराम जाति माली निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल कार्यालय तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर।

अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2022 बअनवान पारसमल बनाम ढेपी देवी, प्रकरण संख्या 12 / 2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल जिला जालोर</u>

उपस्थिति :—

1. श्री मनीष राजपुरोहित, श्री भैराराम परिहार, विद्वान अधिवक्तागण अपीलाण्ट्स।
2. श्री राजेन्द्रसिह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः— 19.9.24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के प्रकरण संख्या 12 / 2022 में निर्णय दिनांक 30.11.2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

19.9.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अपीलांट की एक आराजी खसरा नम्बर 2148/1 कुल रकबा 0.1600 हेक्टेयर चाही दोयम सरहद मौजा ग्राम भीनमाल बी पटवार हल्का भागल भीम में मालिकाना हकूक की आयी हुई है। अपीलांट को उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जो की अपीलांट के पिता है ने कुछ वक्त पहले मनमुटाव के कारण अपने से अलग करते वक्त गिफ्ट की थी इसलिये अपीलांट की आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की सामलाती खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2148 रकबा 4.4200 हैक्टयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम तथा खसरा नम्बर 2149 रकबा 0.13 हैक्टेयर किस्म गैर मु बेरा/सडा के बीच/पास में आयी हुई है।अपीलांट के कुछ ही दूरी पर रेस्पोण्डेंट सं 1 की आराजी खसरा नंबर 2150 कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर, 7249/2151 रकबा 0.64 हैक्टेयर, 7257/2154 रकबा 0.86 हैक्टेयर की आयी हुई है। रेस्पोण्डेंट सं 1 तथा रेस्पोण्डेंट सं. 2 व 3 के मध्य भूमि व माठ आयी हुई है किंतु इन दोनों के मध्य माठ को लेकर विवाद लम्बे समय से चल रहा है। रेस्पोण्डेंट संख्या 1 झगडालू प्रवृती का है तथा यह कई बार रेस्पोण्डेंट संख्या 2, 3 व अपीलार्थी से झगडा कर चुका है तथा बार बार माठ को लेकर परेशान करता है तथा अवैध निर्माण करने पर उतारू रहता है।

यह है कि रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमांकन व पत्थरगढी करवाने का एस डी ओ कोर्ट भीनमाल में प्रस्तुत किया तथा जिसमें रेस्पोण्डेंट सं 2 व 3 को भी पक्षकार बनाया गया तथा उनके खेत का भी सीमांकन की बात कही। इसमें दिनांक 30.11.2022 को रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने रेस्पोण्डेंट सं 1,2 व 3 के खेत का सीमांकन का आदेश करवा लिया जबकि अपीलांट की आराजी रेस्पोण्डेंट संख्या 2 व 3 की आराजी के बीचो बिच आयी हुई है इसलिये इस सीमांकन से अपीलांट की आराजी ख.न. 2148/1 भी पूर्णतया प्रभावित होती है किंतु अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण सं 12/2022 जो उपखण्ड अधिकारी महोदय भीनमाल के समक्ष बअनवान पारसमल बनाम ढेपी देवी वगैरा प्रस्तुत हुआ उसमें अपीलांट जो की एक आवश्यक पक्षकार था तथा जिसके हित प्रभावित हो रहे थे उसे पक्षकार ही नहीं बनाया गया तथा रेस्पोण्डेंट सं 2 व 3 अपीलांट के सगे माता पिता है उन्होने मनमुटाव के चलते

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

19.9.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

इस आदेश के बारे में अपीलांट को अवगत ही नहीं करवाया। अपीलांट को पुलिस ने प्रकरण संख्या 23/2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो रेस्पोण्डेंट संख्या 1 व रेस्पोण्डेंट संख्या 2 व 3 के मध्य हुये झगडे संबधित थी उसमें पूछताछ के लिये बुलाया तो अपीलांट को ज्ञात हुआ की इस आराजी पर विवाद चल रहा है तथा जब और जानकारी जुटाई तो पुलिस वालों ने व गांव के लोगों ने बताया की इन तीनों ने एस डी ओ कोर्ट भीनमाल से एक आदेश भी पत्थर गढ़ी व सीमांकन बाबत दिनांक 30.11.2022 की करवाया है तब अपीलांट ने इस प्रकरण की नकल मांगी जो उसे दिनांक 17.05.2023 को मिली उस समय माननीय एस डी ओ कोर्ट भीनमाल के आदेश की जानकारी हुई। इस प्रकार रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी को पक्षकार न बनाकर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। जबकी अपीलार्थी की आराजी भी रेस्पोण्डट से 1, 2 व 3 के पास है तथा इनके सीमांकन व पत्थर गढी से अपीलांट के भी हित बुरी तरह प्रभावित होते है तथा अपीलांट एक आवश्यक पक्षकार है किंतु उसे प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही नहीं बनाया गया तथा बिना उसका पक्ष सुने ही आदेश कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि रेस्पोण्डेंट संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया तथा रेस्पोण्डेंट संख्या 2 व 3 ने भी मनमुटाव के चलते जानबूझकर इस पर आपत्ति नहीं की। इसलिये जब तक अपीलांट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख लेता तब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कोई औचित्य नहीं हैं तथा अभी तक सीमांकन के लिये टीम भी गठीत नहीं हुई है। इसलिये अपीलांट की अपील स्वीकार कर पत्रावली को रिमाण्ड कर अपीलांट को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर न्याय हित में दिया जावे तथा दिनांक 30.11.2022 के आदेश को रद्द किया जावे।

यह है कि अभी तक उक्त दिनांक 30.11.2022 की पालना में सीमाकंन की टीम गठित नहीं हुई है ना ही मौके पर सीमाकंन हुआ है तथा अपीलार्थी एक आवश्यक पक्षकार है उसके हित प्रभावित हो रहे है। इसलिए अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान करते हुऐ अपील स्वीकार फरमावे। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अधीवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि मौजा भीनमाल–बी तहसील भीनमाल में रेस्पोडेण्ट की खातेदारी आराजी वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 2150 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा/सडा, खसरा नम्बर 7249/2151 रकबा 0.64 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम,

कार्यालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

19.9.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

खसरा नम्बर 7257/2154 रकबा 0.86 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 3 जुमले रकबा 1.59 हैक्टेयर स्थित है, जिसकी खातेदारी रेस्पोडेण्ट के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2150, 7249/2151 व 7257/2154 के पूर्वी दिशा की ओर रेस्पो. संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2148 रकबा 4.42 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 2149 रकबा 0.13 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा/सडा कुल खसरा 2 जुमले रकबा 4.55 हैक्टेयर मौजा भीनमाल–बी तहसील भीनमाल आई हुई है, जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

यह है कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बीच स्थित माठ का सीमांकन तहसीलदार भीनमाल के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित कर स्थाई बिन्दु से पैमाईश कर पत्थरगठी व स्थाई चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई है। ऐसी स्थति में भी अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

यह है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था, जिसको विधि के अनुसार यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है क्योकि अपीलाण्ट वाद ग्रस्त भूमि का पड़ौसी खातेदार नही है। मात्र यह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 की पालना नही करवाना चाहता है। मुझ रेस्पोडेण्ट्स को परेशान करने के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट सव्यय खारीज फरमाई जावे।

हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में मुझ अपीलाण्ट को पक्षकार नही बनाया तथा न ही सुना नही गया। जिसके जवाब में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने कथन किया कि अपीलाण्ट पीड़ित पक्षकार नही है। अपीलाण्ट द्वारा मात्र हमे परेशान करने हेतु तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 पालना नही करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के अनुसार मौजा भीनमाल बी के आराजी कुल खसरे 3 के खसरा नंबर 2150, 7249/2151, 7257/2154 के पूर्वी माठ का सीमाज्ञान हेतु प्रार्थी तहसीलदार भीनमाल के समक्ष नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करावे तथा तहसीलदार भीनमाल को निर्देश दिये गये कि राजस्व कार्मिको

19.9.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)